बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–16 / 2017–101 (आवंटन) कृ0, पटना, दिनांक 27-11- 2017

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वर्ष 2017–18 में तत्काल 60.00 करोड़ रूपये (साठ करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹60,00,00,000 (साठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4643 दिनांक–24.11.2017 द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वर्ष 2017–18 में तत्काल 60.00 करोड़ रूपये (साठ करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत् व्यय हेतु तत्काल ₹60,00,00,000 (साठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹60,00,00,000 (साठ करोड़ रूपये) मात्र में से ₹49,80,00,000 (उनचास करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–277–शिक्षा–मांग सं०–01–उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड–01-2415012770108, के अंतर्गत् विषयशीर्ष–0108.31.05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹60,00,00,000 (साठ करोड़ रूपये) मात्र में से ₹9,60,00,000 (नौ करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–01–उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड–01-2415017890103, के अंतर्गत् विषयशीर्ष–0103.31.05– सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹60,00,00,000 (साठ करोड़ रूपये) मात्र में से ₹60,00,000 (साठ लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–01–उपशीर्ष–0104– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड–01-2415017960104, के अंतर्गत् विषयशीर्ष–0104.31.05–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–3002 वि0 (2) दिनांक–26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Accountant\University\Rashmi_dt-10-08-2016.doc

ज्ञापांक 101 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 27-11-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 101 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 27-11-, 2017

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि शिक्षा कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।